न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1000 सन 2020

अनवान :–

1. रणजीत पुत्र हरजीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. खीराज पुत्र तुलसीराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. नानुदेवी पत्नी तुलसीराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. भागाराम पुत्र तुलसीराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा 230 की 22 बीधा यानी 440 हिस्सा भूमि वादी के पिता हरजीराम पुत्र सालगराम ने जरिये बैयनामा दिनाक 25.05.1967 को नोपा सरुजा व लाधु पि0 भूरा जाति चमार से खरीद की थी ।

वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 326/322 के खसरा न0 652 की 7.5370हैक में से 27821/37685 हिस्सा भूमि वादी के पिता हरजीराम के नाम अविव श्रीमान एसडीएम नोहर वाद विचाराधीन का दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के ईजराय आदेश संख्या 18/82 की पालना में नामान्तकरण संख्या 394 में खसरा न0 652 में हरजीराम पुत्र सालगराम के नाम 440 हिस्सा दर्ज है रजिस्टर हकदारान में लिपिकीय भूल से तुलसीराम वल्द कुरडाराम के 400 हिस्सा व हरजीराम वल्द सालगराम के 196 हिस्सा दर्ज हो गया तुलसीराम फोत होने के बाद विरास्तन नामान्तकरण संख्या 826 दिनांक 13.12.2001 को तुलसीराम के वारिसान नानुदेवी पत्नी भागाराम पुत्र के नाम रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 652 की 400 हिस्सा दर्ज हो गयी तथा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि की केसीसी उठा ली है

हरजीराम पुत्र सालगराम का देहानत हो चुका है तथा उसकी पत्नी सिगारी देवी पत्नी हरजीराम का भी देहान्त हो गया है इसलिये हरजीराम का एक मात्र वारिस रणजीत है जो वाद भूमि पर काबिज है जो अपने हक हिस्सा की भूमि को सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 326/322 के खसरा न0 652 की कुल 7.5370हैक में अंकित अविव श्रीमान एसडीऑ साहब हटाया जावे एवं वादी के मृतक पिता हरजीराम के नाम दर्ज 27821/37685 हिस्सा भूमि में मृतक हरजीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब पेश किया की वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी में हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज किया जा चुका है राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए काश्तकारों वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की हिस्सा कस्सी संशोधन की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्वात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा 230 की 22 बीधा यानी 440 हिस्सा भूमि वादी के पिता हरजीराम पुत्र सालगराम ने जरिये बैयनामा दिनाक 25.05.1967 को नोपा सरुजा व लाधु पि0 भूरा जाति चमार से खरीद की थी ।

वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 326/322 के खसरा न0 652 की 7.5370हैक् में से 27821/37685 हिस्सा भूमि वादी के पिता हरजीराम के नाम अविव श्रीमान एसडीएम नोहर वाद विचाराधीन का दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के ईजराय आदेश संख्या 18/82 की पालना में नामान्तकरण संख्या 394 में खसरा न0 652 में हरजीराम पुत्र सालगराम के नाम 440 हिस्सा दर्ज है रजिस्टर हकदारान में लिपिकीय भूल से तुलसीराम वल्द कुरडाराम के 400 हिस्सा व हरजीराम वल्द सालगराम के 196 हिस्सा दर्ज हो गया तुलसीराम फोत होने के बाद विरास्तन नामान्तकरण संख्या 826 दिनांक 13.12.2001 को तुलसीराम के वारिसान नानुदेवी पत्नी भागाराम पुत्र के नाम रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 652 की 400 हिस्सा दर्ज हो गयी तथा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि की केसीसी उठा ली है

हरजीराम पुत्र सालगराम का देहानत हो चुका है तथा उसकी पत्नी सिगारी देवी पत्नी हरजीराम का भी देहान्त हो गया है इसलिये हरजीराम का एक मात्र वारिस रणजीत है जो वाद भूमि पर काबिज है जो अपने हक हिस्सा की भूमि को सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने जमाबन्दी में हिस्सा कस्सी सही करवाने का वाद पेश किया गया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 326/322 की कुल 7.5370हैक् भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खातें में दर्ज है।

प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार वादी के पिता हजारीराम पुत्र सालगराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 25.05.1967 को नोपा सुरजा लाधु पि0 भूरा जाति चमार से भूमि खरीद की गई थी ।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड /नामान्तकरण /जमाबन्दीयो के अनुसार नामान्तकरण दिनांक 24.1.1983 से खसरा संख्या 652 में हजारीराम पुत्र सालगराम जाति चमार के नाम 440 हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में तुलसीराम वल्द कुरडाराम जामि मेधवंशी 400 हिस्सा , हरजीराम वल्द सालगराम 196 हिस्सा दर्ज हो गया तुलीसीराम के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 826 दिनांक 13.12.2001 से तुलसीराम के वारिसान नानुदेवी पत्नी , भागराम पुत्र खिराज पुत्र के नाम रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा संख्या 652 की 400 हिस्सा भूमि दर्ज हो गयी जो बैक के रहन रखी गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हरजीराम पुत्र सालगराम का देहान्त दिनांक 04.06.1996 को हो गया है तथा हरजीराम की पत्नी सिगारी पत्नी हरजीराम का देहान्त भी 19.10.2002 को हो चुका है इसप्रकार हरजीराम का एक मात्र वारिस उसका पुत्र वादी रणजीत है जो अपने पिता हरजीरमा पुत्र सालगराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के पिता सालगराम पुत्र हरजीराम ने जरिये बैयनामा 22.00 बीधा भूमि अर्थात 440 हिस्सा भूमि खरीद की गई थी जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार 55645 / 75370 हिस्सा होते हे जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है सहवन से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 27821 / 37682 हिस्सा अंकित होने के कारण खाता अपवादित होने का अंकन भी जमाबन्दी में दर्ज है जिसे संशोधित किया जाकर जमाबन्दी में उपवादित खाता का नोट हटाया जाना न्यायोचित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में हिस्सा करसी सही तौर से दर्ज करवाने का अधिकारी है एव अपवादित खाता का नोटा हटवाने का अधिकारी भी है वाद वादी काबिल डिक्री है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो / पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 326 / 322 की कुल 7.5370हैक्ट भूमि में हरजीराम पुत्र सालगराम का 27821 / 37685 हिस्सा अंकित है को कलमजन किया जाकर वादी रणजीत पुत्र हरजीराम जाति चमार को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व हिस्सा 27821 / 37685 के स्थान पर 55645 / 75370 हिस्सा संशोधित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपवादित खाता का नोट हटाया जाता है अर्थात वादी रोही मौजा मन्दरपुरा के खतााा संख्या 326 / 322 की कुल 7.5370हैक्ट में से 55645 / 75370 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे तथा बैक रहन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रणजीत पुत्र हरजीराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. खीराज पुत्र तुलसीराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. नानुदेवी पत्नी तुलसीराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. भागाराम पुत्र तुलसीराम जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1000 सन 2020 निर्णय दिनांक– 22/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 326/322 की कुल 7.5370हैक भूमि में हरजीराम पुत्र सालगराम का 27821/37685 हिस्सा अंकित है को कलमजन किया जाकर वादी रणजीत पुत्र हरजीराम जाति चमार को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व हिस्सा 27821/37685 के स्थान पर 55645/75370 हिस्सा संशोधित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपवादित खाता का नोट हटाया जाता है अर्थात वादी रोही मौजा मन्दरपुरा के खताा संख्या 326/322 की कुल 7.5370हैक में से 55645/75370 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे तथा बैक रहन यथावत रहेंगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर